

# राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

मानवाधिकार विषय पर एक दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक 07.11.2017

## कोर्स रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली (NHRC) के सौजन्य से राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 07.11.2017 को मानवाधिकार विषय पर एक दिन का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में सम्पूर्ण राजस्थान से उप निरीक्षक पुलिस से अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 33 प्रतिभागियों ने भाग लिया।



कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री एम.के. देवराजन, पूर्व डीजीपी पूर्व सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताते हुए इससे संबंधित संवैधानिक एवं वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की स्थिति का एक तुलनात्मक परिदृश्य प्रस्तुत किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय तथा राज्य मानवाधिकार आयोगों के कार्यों तथा उनकी पुलिस से अपेक्षाओं के संबंध में भी अपने विचार रखे। उन्होंने जोर देकर कहा है कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पुलिसिंग महत्वपूर्ण सेवा है। जो आमजन के साथ अन्य सेवाओं की अपेक्षा अधिक गहन रूप से जुड़ी है। जनता के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पुलिस को संवैधानिक अधिकार दिए हुए हैं। अतः मानव अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

दूसरे सत्र में डॉ. अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक सी.डी.पी.एस.एम., आरपीए ने महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों एवं इनके संरक्षण के संबंध में पुलिस की भूमिका के संबंध में जानकारी दी। इस क्रम में उन्होंने महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित कानूनों यथा पोक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम, महिलाओं की घरेलू हिंसा से संबंधित कानून, पीसीपीएनडीटी एक्ट आदि के कानूनी प्रावधानों से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

श्री आर. के. सक्सेना, रिटायर्ड आई.जी.पी. ने जेल मेन्युअल की जानकारी देते हुए बन्दियों के अधिकारों तथा उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने गिरफ्तारी तथा कस्टडी के दौरान एक पुलिस अधिकारी के दायित्वों तथा इनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने पेरॉल पर छोड़े जाने के लिए पुलिस की रिपोर्ट्स को बन्दियों के मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से देखने की जरूरत बतायी।

कार्यक्रम के अन्तिम सत्र में श्री एम.एम. अत्रे, रिटायर्ड आई.जी.पी. ने नवीनतम बालश्रम कानून, अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के नवीनतम प्रावधान बताये। उन्होंने प्रतिभागियों को बच्चों एवं समाज के वंचित वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधानों का मानव अधिकारों के सन्दर्भ में व्याख्या की। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कानूनी दायरे में रह कर तदनुरूप संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए कार्य करने का आह्वान किया।



कोर्स प्रभारी डॉ. अनुकृति उज्जैनियां, सहायक निदेशक सी.डी.पी.एस.एम. एवं सहायक कोर्स प्रभारी श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए ने सभी वक्ताओं का स्वागत किया तथा सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।